प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat, I.A.S., deputy commissioner, Nainital on dated 25/11/14. at time .....at nainital in which application claiming rights in ..... rang / area measuring 0.9212 hect for the Construction of **Bareilly-Almora M/Road to Sirsa** Motor Road (1.75 Km) forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Dhari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Nainital

Dated: 25/11/14

Signature
(Full name and official seal of the District Collector

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector- Nainital

No--- Dated- 26/11/14

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.9212 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Devlopment Department Uttarakhand / Executive Engineer, PMGSY Division, P.W.D. Kathgodam (Nainital) (name of user agency) for Construction of **Bareilly-Almora M/Road to Sirsa** Motor Road (purpose for diversion of forest land) in Nainital district falls within jurisdiction of **Sirsa village in Kushyakutoli tehsil.**

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9212 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to...annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
नैनीताल

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग का निर्माण

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र

जनपद नैनीताल में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बरेली अल्मोड़ा मोटर मार्ग में सिरसा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 0.9212 हैक्टेयर बनभूमि प्रयोक्ता एजैन्सी पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी /अध्यक्ष, उपखंण्ड स्तरीय बन अधिकार समिति, कुश्याकुटौली तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं । बन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व आदिवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है । परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली बन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है ।

जिलाधिकारी,
नैनीताल ।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल।

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– प्रोकेप - 30.30

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम – सिरसा
तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत गरगो अमोड़ा भवाली मार्ग में सिरसा लड़ौदा मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु (.........हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि..........हे0, वन पंचायत भूमि ....हे0) अर्थात कुल 0.9212...हे0 वन भूमि का लो.नि. विभाग नैनीताल ....विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिरसा..........द्वारा दिनांक 16/10/014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिरसा.............के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.9212 हे0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/– Nishan kumar
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सिरसा
वि. ख. (नैनीताल)

ह0/– रणजीत सिंह
ग्राम प्रधान
प्रधान,
ग्राम पंचायत सिरसा
वि. ख. रामगढ़ (नैनीताल)

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रतत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र–23.1/ प्रारूप- 30·4

दिनांक 16/10/014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...... सिरला ......

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहनराम	मोहनराम
2-	गोपाल दत्त	गोपाल दत्त
3-	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
4	बालम सिंह	बालम सिंह
5	किशोर आर्य	[illegible]
6	पुष्कर सिंह जीना	पुष्कर सिंह
7	मोहन सिंह जीना	[illegible]
8	राजेन्द्र सिंह जीना	[illegible]
9-	[illegible]	[illegible]
10-	रूपसिंह जीना	[illegible]
11.	संजय सिंह जीना	[illegible]
12-	खीम राम	खीम राम
13	मोती सिंह	मोती सिंह
14.	मोहन सिंह	मोहन सिंह
15	भुवान राम	भुवान सिंह
16	महेन्द्र सिंह	महेन्द्र सिंह
17	नन्दन सिंह	नन्दन सिंह
18	सुरेश चन्द्र तिवारी	सुरेश चन्द्र
19	नचिन्ता राम	चिन्ता राम
20-	नन्दी राम	नन्दीराम
21	पनी राम	पनीराम

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम– प्रोजेक्ट-30.20

कार्यालय उप जिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति.........................

उपखण्ड ....परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत..(0.9212 है0 आरक्षित वन भूमि 0.9212 है0 सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि..........है0 अर्थात कुल 0.9212 है0 वन भूमि) का ....प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील नैनीताल) की दिनांक 21/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री.....................उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री.....................उपजिलाधिकारी.....................अध्यक्ष
2. श्री.....................उप प्रभागीय वनाधिकारी.....................सदस्य
3. श्री.....................सहायक समाज कल्याण अधिकारी.....................सदस्य/सचिव
4. श्री.....................बी.डी.सी क्षेत्र.....................सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत 0.9212...है0 वन भूमि.....................प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत...

कमशः 2पर

परियोजना के निर्माण हेतु 0.9212 हे0 वनभूमि ..... प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील–
जनपद– नैनीताल।